

5 लघु योजनाएं

Minor Works Scheme

उद्देश्य	अनुसूचित जन-जाति की बस्तियों में वातावरण सुधार हेतु पकड़ी नालियों/गलियों का निर्माण करना तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कुएँ, बावड़ी व लघु पेयजल योजनाओं का निर्माण करवाना।
पात्रता	ऐसी बस्तियां जहां अनुसूचित जनजाति के परिवारों की जनसंख्या कम से कम 25 हो या इन जातियों से सम्बन्धित बस्ती में 5 से 10 घर हो।
सहायता	1.00 लाख रु० तक का अनुदान प्रावक्कलन के आधार पर
प्रक्रिया	सम्बन्धित पंचायत को अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पारित करना होगा जिसमें अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या का विवरण देते हुए सक्षम अभियन्ता से प्रावक्कलन तथा साइट प्लान तैयार करवा कर व तकनीकी अनुमोदन उपरान्त पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
सम्पर्क अधिकारी	सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।